न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 40/2022
जीसीएमएस नम्बर :: 2022/352

अपीलाण्ट :–
कमलादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल (पत्नी स्व. मोहनलाल), जाति– माली, निवासी 75, गुरूनगर, किसान केसरी नगर, पाली तहसील एवं जिला पाली 306401 (राज.)

बनाम

रेस्पोडेण्ट्स :–
1. मृत छिनियादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी भीमाराम जाति माली के कायम मुकाम 1/1 राजेन्द्र टांक गोदपुत्र भीमाराम जाति–माली, निवासी धोला चौतरा, कुम्हारों का बास, पाली, तहसील एवं जिला पाली (राज.)
2. किशनप्यारी पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी रामचन्द्र, जाति माली, निवासी 68, धौला चौतरा, कुम्हारों का बास, पाली तहसील व जिला पाली (राज.)
3. पुष्पादेवी पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी टीकमचन्द, जाति माली, निवासी गणेश बावडी, पाली सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राज)
4. छोटादेवी चौहान पुत्री स्व. भंवरलाल पत्नी सोहनलाल जाति माली, निवासी गणेश बावडी, पाली सोजतसिटी, तहसील सोजत जिला पाली (राज)
5. भगवानसिंह वल्द भीकाराम, जाति माली, ठिकाना गहलोत मोटर्स, टाउन हॉल, नगर परिषद के सामने पाली, तहसील व जिला पाली (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार पाली, तहसील पाली, जिला पाली (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा
रेस्पोडेण्ट संख्या 1/1, 2, 3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोडा
रेस्पो. संख्या 05 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनदास वैष्णव

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **24.06.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार पाली द्वारा मौजा ग्राम पाली

चक द्वितीय, पटवार हल्का पाली चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 709 दिनांक 29.08.1983 के विरूद्ध मय मियाद सम्मन आवेदन के पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतराम मकवाना वक्त बहस उपस्थित हुये। रेस्पो. संख्या 1/1 से 04 की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा व रेस्पो. संख्या 05 की ओर से श्री मदनदास वैष्णव वक्त बहस उपस्थित हुए। रेस्पो. संख्या 1/1 से 04 की ओर से जवाब तथा मियाद कण्डोन का जवाब पेश किया गया। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा ग्राम पाली चक द्वितीय, पटवार हल्का पाली चक द्वितीय, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र पाली, तहसील–पाली की सरहद में खसरा नम्बर 332 रकबा 118 बीघा 11 बिस्वा, किस्म बारानी अव्वल कृषि भूमि स्थित है। जैर आराजी के राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपीलाण्ट कमलादेवी व रेस्पो. छीनियादेवी, किशनप्यारी, पुष्पादेवी एवं छोटादेवी के पिता भंवरलाल का 5/7 वां हिस्सा खातेदारी थी। भंवरलाल वल्द दयाराम का निर्वसीयती स्वर्गवास दिनांक 27.08.1980 में हुआ जिनके उस वक्त प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी उनकी पांच पुत्रियां अपीलाण्ट, रेस्पो. संख्या 01, रेस्पो. संख्या 02, रेस्पो. संख्या 03 व रेस्पो. संख्या 04 जीवित थी व आज भी रेस्पो. संख्या 01 को छोड़कर अपीलाण्ट तथा रेस्पो. संख्या 02 से 04 जीवित है। जैर आराजी का विरासत का नामान्तरकरण भरते समय तत्कालीन हल्का पटवारी ने स्व. भंवरलाल जी के प्रथम श्रेणी के विधिक वारिसान् की जांच किये बिना, प्रभावित पक्षकारों को नोटिस, जवाब व साक्ष्य पेश करने के अवसर दिये बिना ही जैर नामान्तरकरण केवल स्व. भंवरलाल की पत्नी श्रीमती गंगादेवी के पक्ष में स्वीकृत कर दिया जो विधि विरूद्ध व **ab initio void** होने से काबिले खारिज है। इसके साथ ही राजस्व रेकर्ड की नकल लेने पर पाया कि स्व. भंवरलाल की खातेदारी हक हिस्सा की 5/7 हिस्सा भूमि में से 3/7 हिस्सा रेस्पो. संख्या 05 के नाम जरिये बेचान व शेष 2/7 हिस्सा छिनियादेवी के नाम जरिये वसीयतनामा दर्ज है जो पूर्णतया गंगादेवी को मुगालते में रखकर कोई जानकारी नहीं थी। अधिवक्ता अपीलाण्ट की ओर से न्यायिक दृष्टान्त **2011(1) RRT Page 432, 1993 DNJ (sc) 46, 2008 RBJ 447, 2008 RRD 474, 2020 (3) DNJ (SC) 817, 2006 RRD 20, 2013(2) RRT page 1284, 2012(2)RRT 850, 2013(2) RRT 766, 2002 RBJ 108, 2002 RRD 111, 1989 RRD 45, 1994 RRD 215, 1994 RRD 606, 2007 (1)RRT 42, 2017(2)RRT 745, 2019 DNJ (sc)131, 2008 DNJ(sc)852, 2006 RRD 837, 2002 RRD 669, 2012 RRD 422 एवं 1996 RRD 79** पेश कर निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होने से खारिज फरमावे।

जिला कलेक्टर, पाली

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर नामान्तरकरण सन् 1983 में स्वीकृत हुआ जिसकी अपील सन् 2022 में की गई जो कि लगभग 39 साल बाद प्रस्तुत की गई जो कि पूर्णतया मियाद बाहर होने से जैर अपील काबिले खारिज है। अपीलार्थी ने खसरा संख्या 332 को वादग्रस्त भूमि कहा है परन्तु उक्त खसरा संख्या वादग्रस्त है ही नहीं व उक्त जैर आराजी पर अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा अधिकार नहीं है। जैर आराजी खसरा संख्या 332 पर छिनीयादेवी का सन् 1991 से कब्जा काश्त रहा है व सन् 1991 से आज दिन तक रेस्पो. संख्या 1/1 और उसके काश्तकारों द्वारा ही काश्त की जा रही है जिसकी अपीलाण्ट को पूर्णतया जानकारी है। जैर आराजी 5/7 हिस्से में से 3/7 हिस्से की भूमि रेस्पो. संख्या 05 को सन् 1987 में बेची थी उस समय से ही

अपीलार्थी को उक्त बेचाण की जानकारी थी व गंगादेवी व अपीलाण्ट द्वारा उक्त भूमि बेचाण के वक्त कोई एतराज नहीं किया गया। गंगादेवी ने जो भूमि बेचाण कर रूपये प्राप्त किये थे उन रूपयो के बंटवाड़ा करने हेतु गंगादेवी ने अपनी सभी पुत्रियों को इक्कट्ठा किया था और अपीलाण्ट व रेस्पो. संख्या 02, 03 व 04 को बाजार भाव से 08 हजार रूपये प्रत्येक ने प्राप्त किये व छिनियादेवी ने 10 बीघा जमीन अपनी माता गंगादेवी से प्राप्त की तथा शेष जमीन उस समय गंगा देवी से खरीदी जिसका भुगतान छिनियादेवी द्वारा अपनी माता को उसी समय कर दिया गया। गंगादेवी ने सभी पुत्रियों की सहमति से 33 बीघा 17 बिस्वा भूमि श्रीमती छिनीया देवी को अपनी अंतिम इच्छानुसार वसीयत कर दी थी जो भी तथ्य अपीलाण्ट की जानकारी में थे। अतः जैर अपील मियाद बाहर व विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05 की ओर से न्यायिक दृष्टान्त 2019 (1) RRT page no 392, 1994 RRD page no 26 (A), 1999 RRD page no 152, 2008 (2) RRT page no 1095, 1984 RRD page no 261, 2001 RRD page no 35, 2001 RRD page no 36 पेश कर निवेदन किया कि जैर अपील सारहीन होने से काबिले खारिज है।

सर्वप्रथम हम मियाद आवेदन पर विवेचन करना उचित समझते है। अपीलाण्ट द्वारा अपने अपीलाण्ट द्वारा दिये गये प्रार्थना–पत्र हस्ब दफा 05 भारतीय म्याद अधिनियम एवं शपथ–पत्र का जो आवेदन दिया है उसमें अपील के तथ्यों में वर्णित किया है कि तत्कालीन नामान्तरकरण के समय दौराने जांच प्रभावित पक्षकार अपीलाण्ट को कोई नोटिस, जवाब एवं सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया तथा मृतक पिता की विरासत में सिर्फ पत्नी (उसकी माता) को ही वारिश मान लिया गया, जिससे यह जैर नामान्तरकरण गलत विधि विरूद्ध एवं ab initio void है। अपीलाण्ट को सर्वप्रथम दिनांक 16.05.2022 को रेस्पो. संख्या 1/1 द्वारा दस्तंदाजी करने एवं रेकर्ड प्राप्त करने से जानकारी हुई। जैर नामान्तरकरण प्रथम श्रेणी के विधिक वारिस, प्रभावित पक्षकार होने व उसे नोटिस दिये बिना mis representation आधार पर प्रमाणित है, जिसे किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है, इसके लिए मियाद कोई बाधा नहीं है फिर भी दफा 05 आवेदन पेश किया जा रहा है, ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया है। उक्त आवेदन के खण्डन में रेस्पो. संख्या 1/1 से 4 की ओर से दफा 05 आवेदन के जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यह नामान्तरकरण गलत विधि विरूद्ध एवं ab initio void नहीं है। अपीलाण्ट को शुरू से ही नामान्तरकरण की जानकारी रही है। जैर आराजी में अपीलाण्ट का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं है। बेचाणनामा व वसीयतनामा भी किसी प्रकार से विधि विरूद्ध नहीं है एवं इन दोनों की जानकारी अपीलाण्ट को रही है। इन दस्तावेजों को चुनौती देने की मियाद भी समाप्त हो चुकी है। जैर आराजी पर कब्जा अपीलाण्ट का नहीं होकर रेस्पोडेण्टस का है। गंगादेवी द्वारा जैर आराजी में से 3/7 सन् 1987 में बेचा जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को थी तथा गंगादेवी द्वारा भी 10–10 बीघा जमीन के 8–8 हजार रूपये अपनी सभी पुत्रियों को भी दिया जिसमें से अपीलाण्ट को भी पैसा मिला। छिनीया देवी (रेस्पो. संख्या 01) ने यह 10 बीघा भूमि अपनी माता को पैसे देकर खरीदी जिससे विक्रय व वसीयत विधिक है। गंगादेवी का स्वर्गवास सन् 2006 को हुआ तब भी अपीलाण्ट ने कोई उज्र नहीं किया। अपीलाण्ट को नामान्तरकरण की जानकारी शुरू से रही है। अपीलाण्ट के 5 पुत्र व एक पुत्री है जिनकी शादियों में भी छिनिया देवी ने लाखों रूपयों का मायरा किया था तथा सभी सामाजिक कार्यक्रमों में व्यय रेस्पोडेण्ट्स करते है। अतः 39 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई यह अपील मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है।

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

हमारे द्वारा मियाद पर उभयपक्षों के कथनोपकथन एवं बहस में किये गये कथनों का श्रवण व मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मियाद के संदर्भ में अपीलाण्ट द्वारा जो नजीरे पेश की गई है वे निम्नानुसार है –

2002 RBJ 108
2002 RRD 111
1989 RRD 45
1994 RRD 215
1994 RRD 606
2007 (1)RRT 42 rely on (2004) 8 SC 706, 1984 RRD280

जिसमें प्रथम नजीर 2002 RBJ 108 यह कथन करता है कि प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिये बिना तस्दीक किया गया नामान्तरकरण विधि विरूद्ध होता है।

2002 RBJ 108 में यह वर्णित किया गया है कि मियाद की सीमा जानकारी से प्रारम्भ होती है।

1989 RRD 45 में यह वर्णित किया गया कि यदि कोई आदेश ab initio void हो तो उसे जानकारी होते ही चुनौती दी जा सकती है।

1994 RRD 215 में यह वर्णित किया गया है कि प्रभावित पक्षकारों को नोटिस दिये बिना जारी आदेश अविधिक होता है तथा उसे कभी भी अपास्त किया जा सकता है। यही सिद्धान्त 1994 RRD 606 में वर्णित किया गया है।

इसके विरूद्ध रेस्पो. संख्या 05 की ओर से जो नजीरे पेश की गई है उसमें RRD 1994 page no 26(1) में यह वर्णित किया गया है कि मियाद की सीमा जानकारी से प्रारम्भ होती है तथा अनावश्यक मियाद का शमन नहीं किया जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा पेशसुदा अन्य न्यायिक नजीरे 1999 RRD page no 152, RRD 2008, 1095, 1984 RRD page no 261, 2001 RRT page no 35 एवं 2001 RRD page no 36 प्रस्तुत की है जिसमें मियाद मियान शमन के लिए उचित एवं पर्याप्त कारण तथा अनावश्यक विलम्ब को कण्डोन नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये है।

हमारे द्वारा उपरोक्त दोनों पक्षों की न्यायिक नजीरों का परिशीलन किया गया गया तथा हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार किसी भी निर्वसीयती हिन्दु के मरणोपरान्त उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों में उसकी पत्नी के अलावा उसकी पुत्रियां भी शामिल होती है। इस प्रकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 08 का उल्लंघन होकर पुत्रियों को विरासत से वंचित किया गया है तथा यह नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या विधि विरूद्ध है क्योंकि इसमें विधि का उल्लंघन हुआ है। प्रकरण में कहीं भी अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण के बारे में पूर्व से जानकारी हो इस बाबत् कोई दस्तावेजी एवं प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विक्रय, वसीयत इत्यादि समस्त पश्चातवर्ती हस्तानान्तरण तथा पश्चातवर्ती विक्रय या हस्तानान्तरण से अपीलाण्ट जो कि पुत्री है उसे किसी तृतीय पक्षकार को हस्तानान्तरण कर दिये जाने की जानकारी होना अथवा उसे अपने पिता के उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाना कदापि उचित नहीं है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि यदि कोई आदेश विधि विरूद्ध हुआ हो तो उस आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है तथा इस प्रकरण में जैर नामान्तरकरण आदेश अविधिक है तथा उस की पूर्व से अपीलाण्ट को जानकारी हो ऐसा कोई प्रामाणिक तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई नजीरे इस प्रकरण से सुसंगत है वहीं रेस्पोडेण्ट संख्या 05 द्वारा पेश की गई नजीरे इस प्रकरण के तथ्यों से प्रभावी विधि की

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

वैधानिकता की दृष्टि से सुसंगत नहीं है। अतएव हम इस प्रकरण में मियाद कण्डोन कर अपील श्रवणार्थ ग्रहण करते है।

अब हम प्रकरण के गुणावगुण पर विचारण करते है। प्रकरण में ऊपर जैसे कि प्रकरण का पूर्ववृत हमारे द्वारा वर्णित किया जा चुका है। इस प्रकरण में अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई नजीरे 2020 (3) DNJ (SC) 817, 2011(1) RRT Page 432 व 2006 RRD 20 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है जिनमें यह निर्धारित किया गया है कि नामान्तरकरण में विधिक वारिसानों को सुनवाई का अवसर दिये बिना पारित निर्णय के संदर्भ में यदि प्रभावित पक्षकारों को सूचना नहीं दी गई हो तो मियाद गौण होती है। DNJ 2020 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पुत्रियों को उसके समान अधिकार से धारा 06 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत भी 2005 के बाद वंचित नहीं किया जा सकता। पुत्री प्रथम श्रेणी की विधिक वारिसान है उसे मनमाने ढंग से वंचित नहीं किया जा सकता तथा एकपक्षीय आदेश/नामान्तरकरण अविधिक है। अपीलाण्ट द्वारा पेशसुदा अन्य न्यायिक नजीरों में भी जो सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है वह नामान्तरकरण को स्वत्व का सबूत होना नहीं माना जा सकता। 2008 DNJ (SC) page no 852 में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि ab initio void नामान्तरकरण इन्द्राज के आधार पर आगे से आगे किये गये बेचान व नामान्तरकरण सभी कानून की नजरों में ab initio void होता है। विरासत के नामान्तरकरण में कब्जा गौण होता है। इसके विरूद्ध रेस्पो. संख्या 05 की ओर से नजीर RRT 2019(1) page no 392 में पुत्री होने के तथ्य का निर्धारण किये जाने के लिए वाद ही एकमात्र विकल्प होना वर्णित किया गया है, यह नजीर इस प्रकरण में सुसंगत नहीं है क्योंकि यहां पर मृतक की अपीलाण्ट पुत्री होना निर्विवादित एवं स्वीकृत तथ्य है। प्रकरण में उपरोक्त नजीरों के विश्लेषण एवं प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के अनुशीलन एवं रेकर्ड का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि यह स्पष्ट है कि मृतक भंवरलाल की विरासत का नामान्तरकरण 709 दिनांक 29.08.1983 को स्वीकार किया गया एवं जैर नामान्तरकरण में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 में प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी सिर्फ मृतक की विधवा पत्नी को वारिस माना गया जबकि उसके अन्य 05 पुत्रियां भी है जो प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी होती है।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट होता है कि अन्य 04 पुत्रियां जो अपीलाण्ट के अलावा है उन्हे हो सकता है कि विरासत उत्तराधिकार से वंचित होने पर आपत्ति नहीं हो, परन्तु इस से 05 पुत्रियों में से 01 पुत्री को विरासत से वंचित माना जाना न्यायिक आधार नहीं हो सकता। इस प्रकरण में अपीलाण्ट का पुत्री होना निर्विवाद एवं स्वीकृत स्थिति है। तद्नुसार अपीलाण्ट जो कि पुत्री है, उसे इस से पूर्व नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय कोई सुनवाई का अवसर दिया गया हो ऐसा कोई साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं तथा अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण के सन्दर्भ में पूर्व में किसी ने सूचित किया हो या उसे जानकारी हो इसका भी कोई तथ्य रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि जैर नामान्तरकरण मौलिक एवं स्थापित विधि के विरूद्ध एक पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से बिना सुनवाई वंचित किया गया है। अतएव जैर नामान्तरकरण प्रथम–दृष्ट्या अविधिक है तथा अपास्त किये जाने के लिए पात्रता रखता है।

प्रकरण में जहां तक अन्य वारिसों को छोड़कर सिर्फ मृतक की विधवा पत्नी के नाम खोला गया नामान्तरकरण एवं उसके आगे से आगे किये हस्तानान्तरण के आधार पर खोला गया नामान्तरकरण का प्रश्न है यह नामान्तरकरण अपीलाण्ट पर बाध्यकारी नहीं है क्योंकि विधि के अनुसार उनके विधिक हिस्से तक किये गये कोई विक्रय उस पर प्रभावी नहीं हो सकते चाहे

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

जिला कलेक्टर, पाली

वह विक्रय पत्र हो या वसीयत या अन्य कोई हस्तानान्तरण। तद्नुसार विधि विरूद्ध किये गये किसी भी हस्तानान्तरण को विधि से मान्यता नहीं दी जा सकती और वह भी अवधि के आधार पर अथवा पंजीकृत हस्तानान्तरण होने के आधार पर क्योंकि अविधिक हस्तानान्तरण शून्य होते है तथा शून्य हस्तानान्तरण आगे से आगे कितनी भी बार हस्तानान्तरण किये जाये वह शून्य ही होता है। पुत्रियों को उत्तराधिकारी मानते समय विडम्बनापूर्ण तथ्य यह लिखा जाता है कि उसके परिवार के सामाजिक सरोकारों को पीहर पक्ष ने परिपूर्ण किया इससे से वह पिता की संपति में उत्तराधिकार नहीं रखती, यह कदापि विधि सम्मत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के सामाजिक सरोकारों से किसी पुत्री को उसके विधिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता।

समग्रतः हम जैर नामान्तरकरण संख्या 709 दिनांक 29.08.1983 जो कि विधि विरूद्ध है उसे अपास्त कर प्रकरण तहसीलदार, पाली को प्रति–प्रेषित कर निर्देशित करते है कि वे प्रकरण में सभी पक्षकारों को सुनकर अपीलाण्ट के विधिक उत्तराधिकार की हद तक उसकी विरासत के नामान्तरकरण का विनिश्चियन करे तथा उसे उसके हक तक की उसकी पैतृक संपति में उत्तराधिकार बाबत् नियमानुसार विधिक एवं नव सरे निर्णय पारित करे। निर्णय की सत्य प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हो। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **14.08.2024** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **24.06.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली